भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3824
दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाएं

3824. श्री शशांक मणि :
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) के वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत स्वीकृत वाटरशेड विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मृदा और जल संरक्षण, जल संचयन संरचनाओं और अवक्रमित भूमि के शोधन के संबंध में कितनी वास्तविक प्रगति हुई है और भू-जल पुनर्भरण और सिंचाई क्षमता में सुधार लाने में इन परियोजनाओं के क्या परिणाम हैं;

(घ) आन्ध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले में पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के अंतर्गत कुल कितनी परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है;

(ङ) इन परिसंपत्तियों के निर्माण से लाभान्वित हुए छोटे, मध्यम और भूमिहीन किसानों जैसे लाभार्थियों की परियोजना-वार संख्या कितनी है; और

(च) क्या इन परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के तहत तीन (03) वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	जिला	परियोजना का नाम	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	परियोजना लागत (रु. लाख में)
1	गोरखपुर	गोरखपुर-डब्ल्यूडीसी-1/2024-25	5000	1100
2	देवरिया	देवरिया-डब्ल्यूडीसी-2/2024-25	4800	1056
3	संत कबीर नगर	संत कबीर नगर-डब्ल्यूडीसी-1/2024-25	4500	990
		कुल	**14300**	**3146**

(ख) और (ग) राज्य द्वारा दी गई सूचना अनुसार, ये परियोजनाएं अभी आरंभ नहीं हुई हैं और इन परियोजनाओं के तहत कोई कार्यकलाप शुरू नहीं किया गया है।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत कुल 8,333 परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं। इनमें से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) घटक के तहत 2,443 मृदा एवं नमी संरक्षण (एसएमसी) संबंधी कार्य निष्पादित और जल संचयन संरचनाएं (डब्ल्यूएचएस) तैयार की गई हैं; एंट्री प्वाइंट कार्यकलाप (ईपीए) घटक के तहत 1,135 सामुदायिक परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं और उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम (पीएसआई) घटक के तहत डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों की 4,755 इकाइयां वितरित की गई हैं।

(ङ) चल रही दस (10) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 परियोजनाओं के तहत लाभान्वित हुए छोटे और मध्यम किसानों, भूमिहीन किसानों, आदि जैसे लाभार्थियों की कुल संख्या का परियोजना-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(च) जी, हां। वाईएसआर कडप्पा जिले में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत सृजित सभी 8,333 परिसंपत्तियों को सफलतापूर्वक जियो-टैग कर लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 100% जियो-टैगिंग करने का लक्ष्य पूरा हुआ है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 11.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3824 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	जिला	परियोजना	छोटे और मध्यम किसान	भूमिहीन
1	वाईएसआर कडप्पा	संथाकोव्वुरु	547	113
2		बोनाला	697	114
3		नल्लाचेरुवुपल्ली	462	63
4		नॉर्थ पलगिरी	576	182
5		बोंडालाकुंट्टा	626	436
6		पलुगुरल्लापल्ली	548	131
7		चिंथला चेरुवु	589	161
8		पेद्दुल्लापल्ली	993	115
9		ज्योति	317	92
10		टी. सुंदुपल्ली	503	648
कुल			**5858**	**2055**
